न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 29 / 2019

1. गुरमीत सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख साकिन 16 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
2. अमरजीत सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख साकिन 16 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
3. गुरजीत सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख साकिन 16 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रीतपाल सिंह पुत्र करनेल सिंह जाति जटसिख साकिन अहमदपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
2. राजविन्द्र सिंह पुत्र करनेल सिंह जाति जटसिख साकिन अहमदपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
3. हरगोविन्द सिंह पुत्र करनेल सिंह जाति जटसिख साकिन अहमदपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
4. हरमन सिंह पुत्र कर्मजीत सिंह जाति जटसिख साकिन अहमदपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
5. कर्मजीत कौर पत्नी कर्मजीत सिंह जाति जटसिख साकिन अहमदपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ अदमपता
6. हरविन्द्र सिंह पुत्र जसवीर सिंह जोति जटसिख साकिन 16 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
7. गरिवन्द्र सिंह पुत्र जसवीर सिंह जाति जटसिख साकिन 16 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ तलवी (दादा)
8. सर्वजीत कौर पत्नी जसवीर सिंह जाति जटसिख साकिन 16 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
9. नरेन्द्र सिंह उर्फ नगेन्द्र सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति जटसिख साकिन 16 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
10. जगनन्दन सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति जटसिख साकिन 16 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
11. गुरलाल सिंह पुत्र हमन्दर सिंह जाति जटसिख साकिन 16 पीवीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
12. सुखविन्द्र कौर पत्नी कुलदीप सिंह जाति जटसिख साकिन 16 पीवीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
13. गुरमेल सिंह पुत्र श्रवण सिंह जाति जटसिख साकिन 16 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
14. शमशेर सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह जाति जटसिख साकिन 16 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
15. जसपाल कौर पत्नी बलदेव सिंह जाति जटसिख साकिन 16 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
16. हरपाल सिंह पुत्र सुखदेव सिंह **फौत**

16/1. हरविन्द्र कौर पत्नी हरपाल सिंह
16/2. जसविन्द्र सिंह पुत्र हरपाल सिंह
16/3. हर्षपिन्द्र सिंह पुत्र हरपाल सिंह

जाति जटसिख निवासी 16 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.01.22 11:58:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

17. गुरदीप सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख साकिन 16 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
18. हरदीप सिंह पुत्र मेजर सिंह जाति जटसिख साकिन 16 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा	प्रार्थीगण
2. श्री जगजीत सिंह रमाणा	अप्रार्थी संख्या 6,8,12,14,16,17,18
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा	अप्रार्थी संख्या 19

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 14/01/25

प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से **अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम** अप्रार्थीगण के विरूद्ध अधिवक्ता श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा के द्वारा प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी सं. के नाम से चक 16 पीबीएन के खाता सं. 43 के प.नं. 16/305 के किला नं. 4/2 ता 16, 25 की 3.415 हैद., प.नं. 20/310 के किला नं. 7 ता 10, 14, 15 की 1.518 हैक. कुल तादादी 4.933 हैक. नहरी म.गे.मु. खाला रास्ता मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी मय नक्शा संलग्न प्रार्थना पत्र

यह कि प्रार्थी सं. 2 के नाम से एकल स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 16 पीबीएन के खाता सं. 9 के प.नं. 15/304 के किला नं. 21 ता 25, प.नं. 16/305 के किला नं. 2, 3, 4/1 की 0.633 हैक., प.न. 18/307 के किला नं. 22 ता 25 की 1.012 हैक, प.नं. 19/307 के किला नं. 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22 की 2.530 हैक. कुल तादादी 5.440 हैव. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है । प्रमाणित प्रति जमाबन्दी मय नक्शा संलग्न प्रार्थना पत्र है । यह कि प्रार्थी सं. 3 के नाम से संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 16 पीवीएन के खाता सं. 32 के प.नं. 17/306, 20/309, 21/309 की कुल 3.795 हैक. मे से प्रार्थी की 1.265 हैक. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है । प्रमाणित प्रति जमाबन्दी मय नक्शा संलग्न प्रार्थना पत्र है ।

यह कि अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के नाम से, अप्रार्थी सं. 4–5 के पिता, अप्रार्थी सं. 6 के पति कर्मजीत सिंह के नाम से चक नं. 16 पीवीएन के खाता सं. 82 के प.नं. 16/307 के किला नं. 5/21.127, प.नं. 17/307 के किला नं. 1, 2, 9/1, 10 की 0.885 हैक, प.नं. 16/309 के किला नं. 16/1, 17/1, 24, 25 की 0.759 हेक., कुल तादादी 1.771 हैक. मुताविक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है । प्रमाणित प्रति जमाबन्दी मय नक्शा संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं. 6 ता 8 के पिता व पति ज[illegible] व अप्रार्थी सं. 13 ता 18 के नाम से खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक [illegible] 6 पीबीएन के खाता सं. 65 के प.नं. 17/307 के किला नं. 13/[illegible] /309 के किला नं. 16 ता 25 की 5.693 हैक., दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जिसमें अप्रार्थी सं. 6 ता 8 के पिता, पति जसवीर सिंह की 0.949 हैक, अप्रार्थी सं. 13 गुरमेल सि[illegible] की 0.421 हैक., अप्रार्थी सं. 14 शमशेर सिंह की 1.898 हैक, अप्रार्थी सं. 15 जसपाल कौर की 0.844 हैक., अप्रार्थी सं. 16–17 हरपाल सिंह – हरदम सिंह की 1.054 हैक., अप्रार्थी सं. 18 हरदीप सिंह की 0.527 हैक. हिस्सा मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है । प्रमाणित प्रति जमाबन्दी मय नक्शा संलग्न प्रार्थना पत्र है । यह कि अप्रार्थी सं. 9 ता 12 के नाम से चक 16 पीबीएन

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.01.22 11:58:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
अधिकारी पीलीबंगा

के खाता सं. 82 के प.नं. 17/307 के किला नं. 3 ता 9, 11 ता 13/1, 16/309 के किला नं. 4/3 ता 7, 14 ता 17 की 1.569 हैक, प.नं. 20/312 के किला नं. 9 ता 12, 19 ता 22 की 2.783 हैक, प.नं. 19/312 के किला नं. 5, 6 की 0.506 हैक. कुल तादादी 7.135 हैक. अ. क. म.गै.मु. खला रास्ता मे अप्रार्थी सं. 9–10 की 4.756 हैक, अप्रार्थी सं. 11 की 1.620 हैक, अप्रार्थी सं. 12 की 0.379 हैक. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है । प्रमाणित प्रति जमावन्दी मय नक्शा संलग्न प्रार्थना पत्र है । यह कि प्रार्थी सं. 1–2 की भूमि चक 16 पीबीएन के प.नं. 16/305 के किला नं. 2 ता 16, 25 की 4.048 हैक, व प्रार्थी सं. 3 की भूमि चक 16 पीबीएन के प.नं. 17/306 मे आने जाने के लिए प.नं. 17/305, 17/306 प्रत्येक मुरब्बा के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 को स्वीकृत शुदा रास्ता से आना जाना करते थे । पूर्व प.नं. 16/307, 16/308 मे चक 16 पीबीएन की ग्रामीण आबादी थी जिससे आना जाना होता रहा, फिर पंचायत के द्वारा उक्त आबादी भूमि को इसी चक 16 पीबीएन के प.नं. 19/304, 20/304 में सिफ्ट कर प.नं. 16/307, 16/308 की आबादी भूमि को कृषि कार्यो हेतू आवंटन कर दी जिस कारण से प.नं. 17/307 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में रास्ता स्वीकृत होने से रह गया जिस कारण से प्रार्थीगण को अपने गांव चक 16 पीबीएन के प.नं. 18/305, 18/306, 18/307 प्रत्येक मुरब्बा के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25, प.नं. 18/308, 17/308 प्रत्येक मुरब्बा के किला नं. 1 ता 5 मे स्वीकृत रास्ता से होते हुए प. नं. 17/307 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 बिना स्वीकृत शुदा रास्ता से होते हुए प.नं. 17/306 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में स्वीकृत रास्ता से होते हुए अपनी भूमि में आना जाना करते हुये खेती कार्य करते हैं ।

यह कि अप्रार्थी सं. 1 ता 3 स्वयं व 4–5 के पिता, पति कर्मजीत सिंह को भूमि चक 16 पीबीएन के खाता सं. 95 के प.नं. 17/307 के किला नं. 1, 10 प्रत्येक किला मे 0.013 – 0.013 हैक. व अप्रार्थी सं. 6 ता 8 पिता, पति जसवीर सिंह व अप्रार्थी सं. 13 ता 18 की भूमि चक 6 पीबीएन के खाता सं. 65 के प.नं. 17/307 के किला नं. 20, 21 प्रत्येक किला मे 0. 013 – 0.013 हैक. व अप्रार्थी सं. 9 ता 12 की भूमि चक 16 पीबीएन के प.नं. 17/307 के किला नं. 11 में 0.013 हैक. भूमि रास्ता स्वीकृत न होने के कारण प्रार्थीगण व अन्य काश्तकारों को आने जाने में परेशानी होती है । उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थीगण की भूमि को आने जाने के लिए सुविधा अनुसार कोई रास्ता नही लगता है जिस कारण आये दिन परेशानी उठानी पडती है क्योंकि उक्त प.नं. 17/307 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 मे मौका पर राजस्व रिकॉर्ड मे रास्ता स्वीकृत न होने के कारण अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उक्त रास्ता से होकर जाने पर विघ्न पैदा करते हैं ।

यह कि प्रार्थीगण अप्रार्थीगण भूमि चक 16 पीबीएन के प.नं. 17/307 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक किला मे 0.013 0.013 है. यानि प्रत्येक किला मे 1–1 बिस्वा रास्ता पश्चिम साईड उत्तर से दक्षिण लम्बा को राजस्व रिकॉर्ड मे स्वीकृत करवाना चाहते हैं । उक्त रास्ता की कृषि भूमि के बदले प्रार्थीयान अपनी भूमि व डीएलसी की दर से राशि देने के लिए तैयार है।

Signature Not Verified

यह कि अप्रार्थी सं. 19 भूधारक होने के का[illegible] आव[illegible] पक्षकार एवं उनकी अहम जबावदेही है।यह कि प्रार्थना पत्र श्री[illegible]धिकार का है अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर [illegible]एन प.नं. 17/307 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक किला मे 0.013–0.013 है[illegible]ानि 1–1 बिस्वा रास्ता पश्चिमी साईड उत्तर से दक्षिण लम्बा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृत किया जाकर अंकन किया जावे।

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.01.22 11:58:57 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद सरिस्ता रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को तलबी हेतु नोटिस जारी होने पर अप्रार्थी संख्या 6 व 8, 12, 14,16,17,18 की

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

ओर से श्री जगजीत सिंह रमाणा अधिवक्ता हाजिर होकर वकालतनामा प्रस्तुत किया एवं जवाब प्रार्थना पत्र जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 6 व 8, 12, 14, 18 की ओर से निम्न से है–कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में वर्णित कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड से सम्बंधित है जिसे प्रार्थीगण स्वंय सिद्ध करें।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड से सम्बंधित है जिसे प्रार्थीगण स्वंय सिद्ध करें। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड से सम्बंधित है जिसे प्रार्थीगण स्वंय सिद्ध करें।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 में प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 1 ता 3 व अप्रार्थी सं. 4 व 5 के पिता व अप्रार्थी सं. 06 के पति होना गलत रूप से दर्शाया है व राजस्व रिकार्ड की स्थिती अनुसार नहीं दर्शाकर असत्य व अविधिक कथन अकिंत किए है। अप्रार्थी सं. 5 के पति की जगह पिता व अप्रार्थी सं. 06 के पिता की जगह पति होना गलत रूप से दर्शाया है एंव प्रार्थीगण द्वारा गलत कथन तोड़ मरोड़ कर कथन अभिकथित किए जो रिकार्ड की स्थिती को ध्यान में रखकर अकित नहीं किए गए है इस कारण विशिष्ट रूप से अस्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 में वर्णित कथन राजस्व रिकार्ड की हद तक तो स्वीकार है लेकिन राजस्व रिकार्ड से हट कर जो कथन दर्ज किए गए है वो अस्वीकार है जिसको सिद्ध करने का भार प्रार्थीगण पर है।यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 में वर्णित कथन कतई असत्य अविधिक होने अस्वीकार है।

इस दफा वर्णित कृषि भूमि को सिद्ध करने भार प्रार्थीगण पर है जो उसको सिद्ध करने कि प्रार्थना पत्र दफा 7 में वर्णित कथन कतई असत्य व अविधिक होने से अस्वीकार द्य प.नं. 16/307, व 16/308 पूर्व मे चक 16 पी बी एन की आबादी होना जिसे आना जाना होता रहा होने का विषय रिकार्ड का विषय है जो प्रार्थीगण सिद्ध करें व प्रार्थीगण का यह कहना की चक 16 पी बी एन की आबादी भूमि प.नं. 16/307 से प.नं. 16/308 से स्फिट होकर प. नं. 19/304, व 20रू304 में दर्ज कर प्रार्थीगण का यह कहना कि प.नं. 17/307 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में रास्ता हो रिकार्ड का विषय है। स्वीकृत होने से रह गया कतई अस्वीकार है क्योंकि प्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 16 पी बी एन के प.नं. 16/305 में आने जाने के लिए राजस्व रिकार्ड में रास्ता चालु है जिसे प्रार्थीगण अर्सा दराज से इस स्वीकृत व चालु रास्ता से आते जाते है, जो मुताबिक राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 16 पी बी एन के प.नं. 16/305 में स्थित है। प्रार्थीगण की इस कृषि भूमि में आने जाने हेतु चक 16 पी बी एन के प.नं. 17/305 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक बीघे में 0.025 हैक. रास्ता स्वीकृतशुदा है। चक 16 पी बी एन व चक 1 एस जी आर ए की कृषि भूमि चिपती कृषि भूमि है। प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि प.नं. 16/305 में पहुचने के लिए चक 16 पी बी एन के प.नं. 18/303, 17/303, चक 1 एस जी आर ए के प.नं. 16/303, 15/303, 14/303, 13/303, 12/303, के प्रत्येक किला नं. 21 ता 25 में चल रहे रास्ता से आते हुए प.नं. 12/304, 12/305 में स्थित किला [illegible] 15, 16, 25 में होते हुए प.नं. 13/305 के किला नं. 21 ता 25 व प.नं. 14/306 किला नं. 1 [illegible] 15/306, व 16/306 के किला नं. 1 ता 5 में से होते हुए च[illegible] 305 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 जो राजस्व रिकार्ड में चा[illegible] है में से अपनी कृषि भूमि में प्रार्थीगण प.नं. 16/305 में आते जाते है यह मौके पर चा[illegible] रास्ता प्रार्थीगण के दक्षिण दिशा व पूर्व दिशा में चालु है इसी से प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि [illegible] जाते जाते है व इसी चालु रास्ता का उपयोग व उपभोग करते है। लेकिन प्रार्थीगण ने राजस्व रिकार्ड की इस स्थिति को छुपाते हुए मिन अप्रार्थीगण की चक 16 पी बी एन के प.नं. 17/307, के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में से अविधिक रूप से रास्ता चाहा है। प.नं. 17/307 में किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.01.22 11:58:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
[illegible]ण्ड अधिकारी पीलीबंगा

कोई स्वीकृत व मौके पर चालु रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा अविधिक व असत्य कथम अकिंत कर रास्ता चाहा गया है जबकि प्रार्थीगण को चक 16 पी बी एन के प.नं. 17/307 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में कोई भी मौका पर रास्ता चालु नहीं है। प्राथीगण को अपनी कृषि भूमि प.नं. 16/305 में आने जाने के लिए राजस्व रिकार्ड में प.नं. 14/306, व 15/306, व 16/306 में किला नं. 1 ता 5 में रास्ता स्वीकृत है जो प्रार्थीगण की कृषि भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित है व विकल्प के रूप में रास्ता मौजूद है जो इसी रास्ते से प्रार्थीगण आते जाते है व उपयोग व उपभोग करते है। प्रार्थीगण ने विकल्पिक रास्ता होते हुए भी अविधिक रूप से रास्ता चाहा है जो प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 8 में वर्णित कथन कतई असत्य व मनगढत होने अस्वीकार है। प्राथीगण व व अन्य काश्तकारो को राजस्व रिकार्ड व मौके पर चालू रास्ते से आना जाना कर रहे है जिनके विकल्प के रूप में रास्ते मौजूद है उसी से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सुलभ रास्तो से आना जाना कर रहें है। प.नं. 171307 में किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में मौके पर रास्ता न तो स्वीकृत है न ही चालु है। प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ता जो मौके पर चालु को छोडकर अन्य रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। राजस्व रिकार्ड में दर्ज व चालु रास्ता जो प्रार्थीगण के आने जाने हेतु सुविधाजनक है व प्रार्थीगण उसी से आते जाते है इस कारण प्रार्थीगण अन्य कोई रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नही है ।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 9 मे वर्णित कथन कतई असत्य व मनगढत होने अस्वीकार है। प्रार्थीगण प.नं. 17/307 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में कोई रास्ता स्वीकृत करवाने के अधिकारी नहीं है राजस्व रिकार्ड मे मुताबिक नक्शा प्रार्थीगण को उनके प. नं. 16/305 में दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम रास्ता स्वीकृत व चालु है जिसे प्रार्थीगण अर्सा दराज से आते जाते है व इसी रास्ते का उपयोग व उपभोग करते है, इस कारण प्रार्थीगण नें मौके पर चालु रास्ता होने के बावजूद भी असत्य कथन अकिंत कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 10 मे तहसीलदार राजस्व को भू–धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 11 में वर्णित अस्वीकार है प्रार्थीगण को कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना आधारहिन विधि विरूद्व व मौके पर चालु रास्ता होता हुए अन्य रास्ता की मांग अनुचित होने कारण उनका प्रार्थना पत्र भारी हर्जाने सहित खारिज फरमाया जावें। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5, 7, 9 ता 11, 13, 15 के विरूद्व एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गई है।

प्रकरण में प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी बाद स्वीकार होने पर रिपोर्ट तहसीलदार पीलीबंगा पुनः प्राप्त की गई मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार रास्ता मौके पर चालू नहीं है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड संयुक्त खाता की कृषि भूमि से स्त संबंधित भूमिधारकों को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी द्वा[illegible] उस भूमि को 17/305 व प०न० 17/306 (29) प्रत्येक में 1–10–11–20–2[illegible]शुद्धा रास्ता है जो कि मौके पर चालू है। प्रार्थी को अपनी कृषि [illegible] प०न० 17/307 (32) में कोई स्वीकृतशुद्धा रास्ता और घरे[illegible] रास्ता नहीं है जिसका नजरी नक्शा संलग्न रिपोर्ट है। प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अ[illegible]क्त और कम दूरी का कोई रास्ता नहीं है । प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता प०न० 17/304 (14) के कि०न० 1–10–11 में घरेलू तौर पर लम्बे समय से मौके पर चालू है।

–आदेश–

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.01.22 11:58:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

–आदेश–

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्यों, दस्तावेजो व तहसीलदार पीलीबंगा का अवलोकन व अध्ययन किया गया। तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट व प्रस्तुत नक्शा एव मौका निरिक्षण के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा कम दूरी का रास्ता लगता है। प्रार्थी चाहा गया रास्ता लघुत्तम नहीं है। इसके अतिरिक्त रास्ता हेतु अन्य लघुत्तम विकल्प भी उपलब्ध है। इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क खारिज किया जाना न्यायोचित है। अतः लघुत्तम विकल्प की उपलब्धता, आंत्यातिक आवश्यकता के अभाव में केवल सुविधाजनक रास्ता हेतु प्रस्तुत किये जाने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 क आरटीए के प्रावधानों के अनुरूप साबित नहीं होने पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो । आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 14/01/25 सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.01.22 11:58:57 IST
Reason: SelfAttested